निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 97 / 2024
दायरा दिनांकः—24.12.2024
निर्णय दिनांकः— 13.10.25

उनवान

1. रामदयाल आयु 48 वर्ष पुत्र श्यामा जाति सहरिया
2. छीतरलाल आयु 55 वर्ष पुत्र श्यामा जाति सहरिया
3. कमलेश आयु 35 वर्ष पुत्री श्यामा जाति सहरिया
4. कलावती आयु 40 वर्ष पुत्री श्यामा जाति सहरिया निवासीगण गुगोर तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. मनोज आयु 35 वर्ष पुत्र देवलाल जाति बैरवा (चमार) निवासी गुगोर तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट0

निर्णय दिनांकः— 13-10-25

अभिभाषक उपस्थितः—1. श्री राकेश कुमार गालव – प्रार्थी
2. श्री नारायण लाल चौरसिया – अप्रार्थी

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 212 आर.टी.ए विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि वाके माल गुगोर पटवार हल्का गुगोर तहसील छबड़ा जिला बारां (राज०) में स्थित खाता संख्या 81 की खसरा नंबर 371/2 रकबा 1.8211 है0 भूमि प्रार्थीगण के खातेदारी एवं कब्जे काश्त में चली आ रही है। जिसको प्रार्थना पत्र में आगे विवादग्रस्त सम्पत्ति के नाम से संबोधित किया जाएगा। वादग्रस्त भूमि गुगोर मैन रोड़ से गुगोर किला अमेठियों में जाने वाली मुख्य सड़क पर स्थित है। जिसमे अप्रार्थी ने अतिक्रमण करते हुए ताकत के बल पर गैर कानूनी तरीके से मकान बनाने के लिए दिनांक 02.12.2024 को नींवे खोदना प्रारंभ कर दिया। प्रार्थी कम 1 द्वारा मना करने पर लड़ाई—झगड़ा करना प्रारभ कर दिया और मारपीट करने पर आमादा हो गया। प्रार्थी कम 1 द्वारा उक्त घटना की रिपोर्ट थाना छबड़ा में दिनांक 03.12.2024 को दर्ज करवाई गई। जिस पर थाना छबड़ा द्वारा आज दिन तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इसलिए अप्रार्थीगण के होंसले बुलंद हो गए हैं और जबरन अतिक्रमण कर मकान बनाने पर आमादा है। यदि अप्रार्थी ने जबरन प्रार्थीगण की भूमि पर कब्जा कर निर्माण कर लिया तो प्रार्थीगण को अपरिमित क्षति होगी और अनैकानेक वाद—विवादों में उलझना पड़ेगा। प्राइमा फेसाई केस एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में विद्यमान है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जयें सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से जवाब पेश हुआ। प्रार्थीगण द्वारा अपने पक्ष के

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

र्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम गुगोर सम्वत् 2075–78 संख्या 81 नकल नक्शा ट्रेस ग्राम गुगोर पेश किया गया वकील अप्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल रजिस्टर्ड पट्टा विलेख नकल आवासीय पट्टा नकल नक्शा ट्रेस नकल जमाबन्दी सम्वत् 2075–78 खाता संख्या 374 नकल पंचायत पेश किया गया।

अप्रार्थी द्वारा जवाब पेश किया गया। जवाब में बताया कि प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जे प्रार्थीगण की खातेदारी एंव कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 371/2 गुगोर रोड़ से अमेटियो मे जाने वाले रास्ते पर संलग्न नक्शे के अनुसार प्रार्थीगण कब्जा काश्त है। अप्रार्थी के कब्जे का भूखण्ड खसरा नम्बर 371 ग्राम गूगोर मे संलग्न नक्शे के अनुसार छबड़ा से गूगोर मेन रोड पर स्थित है उक्त भूमि को प्रार्थीगण के पिता ने दिनांक 21/04/1988 को बेचान 15 बिस्वा पश्चिम दिशा की भूमि को कर दिया था जिसका बेचान नामे का स्टाम्प संलग्न है। जो आबादी भूमि में आ चुकी है। खसरा नम्बर 371 की भूमि ग्राम पंचायत के नाम दर्ज है। ग्राम पंचायत ने कब्जे के आध् तार पर आबादी भूमि मे होने से पंचायत ने वादी एंव उसके भाईयो के नाम अलग अलग नाम से पटट्टा रजिस्ट्री जारी कर दिये है। पंचायत द्वारा जारी पटट्टे के आधार पर पंचायत की परमिशन से ही भूमि खसरा नम्बर 371 की मेन रोड़ छबड़ा गुगोर रोड़ पर स्थित भूखण्ड पटट्टे मे दर्शाई गई दिशाओ के अनुसार निर्माण कर रहा है। प्रार्थीगण की नियत मे बेईमानी होने से अप्रार्थी के पिता को बेची गई आबादी की भूमि को उक्त प्रार्थना पत्र की आड़ मे छुड़ाना चाहता है। जबकि अप्रार्थी को प्रार्थी की भूमि से कोई लेना देना नहीं है जो नक्शे के अनुसार गुगोर रोड़ से अमेटियो मे जाने वाले रोड़ पर स्थित है। प्रार्थीगण उक्त विवादग्रस्त भूमि की आड़ में अप्रार्थी की पंचायत द्वारा जारी रजिस्ट्री, पटट्टा शुदा भूमि पर अतिक्रमण करना चाहता है। जिसका प्रार्थीगण को किसी प्रकार का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। काउन्टर क्लेम पेश करने का कारण दिनांक 05/01/2025 को एस०. डी.ओ. के नोटिस मिलने पर प्रार्थीगण द्वारा उक्त भूखण्ड़ से बेदखल करने की धमकी देने पर उत्पन्न हुआ

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। बहस के दौरान अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। अभिभाषक प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम गुगोर तहसील छबडा में स्थित है। खसरा नम्बर 371/2 रकबा 1.8211 है0 भूमि प्रार्थीगण के खातेदारी एवं कब्जे काश्त में चली आ रही है। विवादित आराजी गुगोर मैन रोड से गुगोर किला अमेठियों में जाने वाली मुख्य सडक पर स्थित है। जिस पर अप्रार्थी जबरन बलपूर्वक कब्जा कर मकान बनाने के लिए नींव खोद रहा था। प्रार्थी द्वारा मना करने पर लडाई–झगडा करने पर आमादा हुआ। जिसकी रिपोर्ट थाना छबडा में दिनांक 03.12.2024 को दर्ज करवाई गई। थाना छबडा द्वारा कोई कार्यवाही नही करने पर अप्रार्थी के होंसले बुलन्द हो गये है तथा जबरन अतिक्रमण कर मकान बनाने पर आमादा है अप्रार्थी द्वारा जबरन कब्जा कर मकान निर्माण कर लिया तो प्रार्थी को अपरिमित क्षति होगी। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें।

बहस के दौरान वकील अप्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थी के कब्जे का भू–खण्ड खसरा नम्बर 371 ग्राम गुगोर में छबडा से गुगोर मेन रोड पर स्थित है। प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जे की भूमि खसरा नम्बर 371/2 गुगोर में अमेठीयों में जाने वाले रास्तें पर है खसरा नम्बर 371 की भूमि प्रार्थीगण के पिता ने दिनांक 21.04.1988 को

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

विरवा भूमि पश्चिम दिशा का बेचान कर दिया था जो आवादी भूमि में आ चुकी है वर्तमान में खसरा नम्बर 371 की भूमि ग्राम पंचायत के नाम है ग्राम पंचायत ने कब्जे के आधार पर अलग-अलग पट्टे जारी कर रजिस्ट्री करवाई गई। ग्राम पंचायत द्वारा जारी भू-खण्ड पर अप्रार्थी निर्माण कर रहा है। प्रार्थी की नियत में बेईमानी आ जाने से अप्रार्थी के पिता को बेची गई आवादी की भूमि को प्रार्थी छुडाना चाहता है जबकि प्रार्थी को कोई अधिकार नही है प्रार्थी उक्त विवादित भूमि की आड में अप्रार्थी को पंचायत द्वारा जारी रजिस्ट्री पट्टा शुदा भूमि पर अतिक्रमण करना चाहता है। प्रार्थी को कब्जा करने का कोई अधिकार प्राप्त नही है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम गुगोर सम्वत् 2075–78 खाता संख्या 81 के अनुसार प्रार्थीगण का नाम बतौर खातेदार दर्ज है नकल नक्शा ट्रेस ग्राम गुगोर खसरा नम्बर 371/2 प्राथीगण के नाम दर्ज है अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रजिस्टर्ड आवासीय भूमि पट्टा विलेख दिनांक 20.01.2025 नकल ग्राम पंचायत सरपंच द्वारा जारी आवासीय भूमि का पट्टा दिनांक 21.12.2024 पेश किया जो अप्रार्थी मनोज बैरवा के नाम खसरा नम्बर 371 में जारी किया हुआ है नकल जमाबन्दी ग्राम गुगोर सम्वत् 2075–78 खाता संख्या 374 में खसरा नम्बर 371 गैर मुमकिन आवादी ग्राम पंचायत गुगोर के नाम दर्ज है अप्रार्थी अधिवक्ता ने बताया कि खसरा नम्बर 371 की भूमि दिनांक 21.04.1988 में प्रार्थी के पिता से क्रय किया जाना बताया है अप्रार्थी द्वारा भूमि क्रय करने का ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही किया जिससे अप्रार्थी द्वारा भूमि क्रय किया जाना साबित हो सके। खसरा नम्बर 371 की भूमि अप्रार्थी के खातेदारी में नही है गैर मुमकिन आवादी में दर्ज है जो ग्राम पंचायत के नाम दर्ज है। अप्रार्थी का पट्टा विलेख खसरा नम्बर 371 का बना हुआ है। तथा प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 371/2 की है प्रार्थी को अपने खातेदारी की भूमि में अधिकार प्राप्त है उभय पक्ष अपनी अपनी भूमि का सीमाज्ञान करने हेतु स्वतंत्र है। यद्यपि प्रार्थी एवं अप्रार्थी के अधिकरो का निर्धारण मूल वाद के निस्तारण में तय होगा तथापि वाद बहुलता को रोकने एवं मौके पर शान्ति व्यवस्था वनाए रखने हेतु अप्रार्थी को पावन्द किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है अप्रार्थी को ताफैसला वाद जर्ये अस्थायी निषेधाज्ञा पावन्द किया जाता है। कि प्रार्थी के खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 371/2 रकबा 1.8211 है0 ग्राम गुगोर में किसी प्रकार का अतिक्रमण कर निर्माण कार्य नही करें।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
आर.ए.एस.
छबड़ा (बारां)
उपखण्ड अधिकारी, छबडा